

प्रेषक,

श्री अशोक गंगुली,
संपन्न सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
कक्षा क्र. 2 सहाय कक्षा,
श्रीते विहार नई दिल्ली ।

विधा 171 अनुदान

तकनक: दिनांक: 30 जून, 1997

विषय:- मान शिक्षा विभाग, प्रस्ताव घाट पाराशरी को सीओएससी नई दिल्ली से सम्बन्धित अनुदान प्रमाण पत्र दिने जाने के संबंध में ।

संदर्भ,

अनुसृत विषयक दर से यह करने का निदेश हुआ है कि मान शिक्षा विभाग-
तय प्रस्ताव घाट पाराशरी को सीओएससी नई दिल्ली से सम्बन्धित प्रदान दिने
जाने में सा राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 शिक्षा विभाग की परीक्षा बोलायवी का सम्बंधित समय पर नवीनीकरण कराया जाय ।
- 121 शिक्षा विभाग की प्रमुख समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 शिक्षा विभाग में हम के हम इस प्रकार स्थान अनुसृत आवि/अनुसृत कक्षा के वर्गों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित शिक्षा विभागों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग ~~के लिए~~ नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा परिषद से के लिए शिक्षा परिषद से सम्बन्धित प्राप्त है तथा शिक्षा विभाग की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/डी.टी.ए. कार दि इन्डियन स्कूल सर्विफिसेट इन्वार्मिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की विधि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः तथापत्त की जायेगी ।
- 151 संस्था के शिक्षक एवं शिक्षित कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसृत वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवाओं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त आगतिकोय उपकार माध्यमिक शिक्षा विभागों के कर्मचारियों की अनुसृत सेवा नियुक्ति का नाम उपलब्ध कराये जायेंगे ।



...2/-
Secretary
Bal Shiksha Mandal Kashi

17) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।

18) विद्यालय का रिकार्ड नियमित पुस्तक/जर्नलों में रखा जायेगा ।

19) उनल शर्तों में राज्य सरकार के सुनिर्देशों के बिना कोई परिवर्तन संशोधन का परिचय नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि पुस्तकें जो भूमि पर विद्यालय का मूल्य मानकानुसंग मकान हो उन्हें के भीतर ^{व्यवस्था} विद्यालय स्थानान्तरित कर लिया जायेगा तथा पालन को अवगत कराया जायेगा ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा ऊक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की पुस्तक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली
संस्था सचिव ।

संज्ञा 111/15-7-1997 तददिनांक


प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- अखिलीय संस्था शिक्षा निदेशक वाराणसी ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, जंम भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, मूल विद्यालय प्रचारक पाठ वाराणसी ।

अ आशा है,

(Signature)

अशोक गांगुली
संस्था सचिव ।



~~Secretary~~
Bal Shiksha Mandal Kashi